भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2490
उत्तर देने की तारीख 15.12.2025

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण का कामकाज

2490. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में मरम्मत, निर्माण या अन्य गतिविधियों के लिए आवेदनों और अनुमतियों के प्रसंस्करण के संबंध में राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के गठन और कामकाज की स्थिति क्या है;
(ख) क्या अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई गाइडलाइंस या मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मौजूद है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) का गठन 2010 में यथासंशोधित, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत किया गया है। इस प्राधिकरण को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा अधिसूचित संरक्षित स्मारकों और स्थलों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर निर्माण, मरम्मत, नवीकरण और अन्य विकासात्मक कार्यों को नियंत्रित करने का अधिदेश प्राप्त है। यह प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय और देश के विभिन्न स्थानों के लिए अधिसूचित सक्षम प्राधिकरणों के माध्यम से कार्य करता है। एनएमए, गोवा राज्य सहित पूरे भारत से संरक्षित स्मारकों और स्थलों के निषिद्ध अथवा विनियमित क्षेत्रों के दायरे के भीतर मरम्मत, नवीनीकरण, निर्माण और अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए आवेदन प्राप्त करता है और उन सब पर कार्रवाई करता है। आवेदकों को स्थल योजना, स्वामित्व अभिलेख, संरचनात्मक विवरण और परियोजना प्रस्तावों सहित सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। सक्षम प्राधिकारी फील्ड स्तर पर

प्रस्ताव की जांच करता है और संरक्षित स्मारक अथवा स्थल पर प्रस्तावित निर्माण कार्य के प्रभाव की सूचना देते हुए एनएमए को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। प्राधिकारी अपनी अंतिम सिफारिशें जारी करने से पहले अपने पास उपलब्ध सामग्रियों अथवा अधिसूचित होने की स्थिति में उस स्मारक की विशिष्ट उप-विधियों के आधार पर मूल्यांकन करता है ताकि इस प्रकार की मरम्मत या नवीनीकरण या पुन: निर्माण या निर्माण कार्य से संरक्षित स्मारक के परिरक्षण, सुरक्षा, संरक्षा, दृश्यिक अखंडता या सुगम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना न हो।

(ख) और (ग): एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में यथा संशोधित) की धारा 20ड. के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित विशेषज्ञ विरासत निकायों के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षित स्मारकों और स्थलों के लिए तैयार की गई धरोहर उप-विधियों को अनुमोदित करता है। इन धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों या स्थलों के निषिद्ध या विनियमित क्षेत्र के लिए निर्धारित भवन संबंधी दिशानिर्देशों में भौतिक, सामाजिक और आर्थिक हस्तक्षेप हेतु मार्गदर्शन करना है, जिससे कि एएमएएसआर अधिनियम, 1958 के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो।

*****